

(7)

न्यायालय के विभागीय अधिकारी साथें जिला इंदौर प्र.

प्रकाशन नं. 32/31-2, 2011-12

1. श्री मोहनलाल, 2. श्री रामलाल,
3. श्री गणेश 4. श्री वसु पिता श्री मोहनलालजी साथी
- रामी निवारी याम यु. लहसील साथें
5. श्री गोपाल पिता श्री रामराम खाटीयुरा इंदौर  
केलोपटी चुलशीयाना कलाजी केलोपटी इंदौर पाटनर,  
सुनिल पिता श्री राज भाटिया

पता 209 के कोड इंदौर(म.प्र.)

विरुद्ध

आवेदक

ग्राम प्रतेर: शासन

आ से सा

अन्वेदक

प्राप्ति दिनांक 21/02/2011

म.प्र.भू. एवं राहिता 1959 की घास 172 के अन्तर्गत

आवेदक ह्या ग्राम कुमेडी पटवारी उल्का नं. 38 लहसील रामी रियत कृषि ग्रमी नं. 14/3, 96/1, 96/2, 98, 99/1, 99/2, 99/3 रक्का घास: 0.556, 0.703, 1.594, 0.713, 0.881, 1.595 कुल रक्का 7.933 एकड़र ग्रमी का कृषि विषय अर्थात् औद्योगिक शोजन हेतु मध्य-राजस्थान राहिता 1959 की घास 172 के अन्तर्गत आवेदन पत्र इस न्यायालय के राम्रा दिनांक 21/12/2011 की प्रकृति का विषयक ग्राम कुमेडी पटवारी विद्युत जलकर इमारण में जायि की गई ए प्रयोग का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

- 1/ ग्राम कुमेडी पटवारी उल्का नं. 38 लहसील रामी कृषि ग्रमी नं. 14/3, 96/1, 96/2, 98, 99/1, 99/2, 99/3 रक्का घास: 0.556, 0.703, 1.594, 0.713, 0.886, 1.595 कुल रक्का 7.933 एकड़र अधिकारी का ग्रमी विषय पर अंकित है। एवं वर्तमान में रक्का मूल र आवेदक वा विद्युत जलकर इमारण मध्य-राजस्थान राहिता 1959 की घास 172 के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
- 2/ इस न्यायालय के अधीक्षक ग्रमी परिवर्तित विद्युत जलकर इमारण में विद्युत जलकर इमारण का विषय दिनांक 11/1/11

के द्वारा प्रभारी आवास इंदौर विकास प्राधिकरण इंदौर रोड़ एवं पत्र कामाक्षी  
1/11 संवेद दिनांक 6.1.2011 के द्वारा सरपाय ग्राम पंचायत कुमेली से प्रसन्नाधीन  
के संबंध में निर्धारित किया अनुसार जांच कर प्रतिवेदन चाहा गया।

3/ न्यायालय दिनांक 131 द्वारा प्रसन्नाधीन गृहि का रथल निरीक्षण कर बताया गया।  
131 दिनांक 2.2.2011 के द्वारा प्रसन्नाधीन गृहि का रथल निरीक्षण कर बताया गया गृहि प्रसन्नाधीन प्रस्तुत किया जिसमें बताया गया कि आवेदित भूमि में कांडा शासकीय या अन्य असमाधिष्ट नहीं है। पर विकास/ निपायि कांडा यारी नियम गती है किंतु यह दफ्तर नवक्षे से मिलान हो। आवेदित भूमि में वृक्ष नहीं है। यह उक्त भूमि रथल पर कांडा एवं गड्ढे अन्तर्गत परतायित कर पुनः निर्धारण भू-राजस्व, एवं औद्योगिक आरोपित किया जाना प्रस्तावित है। जो प्रकरण में संलग्न रखा गया।

4/ कार्यालय सचालक नाम नाथा युवा लेंगा दूर्दीप दिनांक 135/जिक्रांती/एस.पी. इंदौर दिनांक 6.1.2011 के द्वारा यात्रा करने के लिये निरीक्षण कर दिया गया। यह दफ्तर आवेदित भूमि पर आवासिक उपयोग हेतु जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

- 1- प्रसन्नाधीन भूमि के विभिन्न विधियों का प्रकार रहा।  
3- औद्योगिक प्रयोग हेतु  
अभिन्यास में दर 6.10 के प्रावधान दर हो।  
वेयर हाउस प्रयोग हेतु :-  
अ- ग्राउण्ड 40 प्रतिशत अधिकतम  
ब- एफ.ए.आई 40 अधिकतम  
स- एग.ओ.ए. 12.0 मीटर तथा अन्य तीनों ओर 9.0 मीटर / 9.0 मीटर  
आवासीय प्रयोग :-  
3- ग्राउण्ड 20 प्रतिशत अधिकतम  
ब- एफ.ए.आई 75 अधिकतम  
स- एम और ए 9.0 मीटर तथा अन्य तीनों ओर 6.0 मीटर / 6.0 मीटर  
द- गवन की अन्य उचाई 12.00 मीटर  
इ- पार्किंग : एक एक रोड प्रति 100 वार्ग मीटर कुल निर्णीत हेतु की दर से

- 2/ निम्नलिखित अधिनियम/नियम/संकाय अधिकारीयों तथा सरथा से अनुज्ञा यदि आवश्यक हो तो लेना अनिवार्य होगा -
- म.प्र.भू-रेखा अंडेला 1959 की परा 172
  - म.प्र. पंचायत अधिनियम 1993
  - राष्ट्रीय बाग/राजमार्ग प्राधिकारी से अनुपत्ति यदि आवश्यक हो तो नियंत्रण ज बाई आवश्यक हो तो।
  - म.प्र. परामर्श राजसभा अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार अन्य किसी विधान/अधिनियमों के अंतर्गत कोई अनुमति/अनुज्ञा नहीं दें। तो उस विधायक रूप से प्राप्त किया जावे।
- 3/ जल-मल वर्षा के पानी की आकड़ा प्रावित्र में अरते हुए इसका ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किया जाए।
- प्रश्नाधीन के सूर्य दिशा में प्रतापित 30.00 ग्रीदर मार्फ है, जिसे देने वाले से 15.0 ग्रीदर मार्फ विस्तार हेतु छोड़ी जाना आवश्यक होगा,
  - यह अनुज्ञा वर्ष की कालावधी के लिये प्रवृत्त रहेगी।
  - भवन का नियन नुकस्य अदरोधी ताकनिकी के अनुसार एवं नियांसिक कानून अनुसार किया होगा। किसी भी प्रकार का डिजाइन फाल्ट अथवा रक्षित की होगी।
  - अभिन्यास अन्त आवासीय संघर्षोग के भूखण्ड पर औद्योगिक व्यवसाय आवासीय रूप से वाय होगी।
  - भवन में उत्तरी दीने वाले अपशिष्ट(सालिड वेर्ट) के प्रबंध में ग्रामीण सर्वान्यायालय हो दिये गये दिशा निर्देश का पालन करना होगा। तथा उत्तरी अपशिष्ट को तीन तरफ अलग कचरा एंट्री में इवाहन करवाकर डिल्ट करवाकर जबाबदारी उत्तरी की होगी।
  - भवन में रेन वाले अवैरिट्टा की परिया आवेदक होता अपने स्वार्य के साथ से जाना आवश्यक है। इस व्यावरण को नियमित अंतराल पर चुपचाप सकेगा।



नियम 60 के नियम 61 फुट नोट (1) अनुसार अतिरिक्त एफ.ए.आर. होगी।

प्रकरण तो गही है व प्रश्नाधीन गृहि के संबंध में लापवर्सन शब्दों  
होगा आवेदन कर रवीकार किया है।

- 6/ इंदौर प्रशासन प्राधिकरण इंदौर के हारा पत्र कमांडर 7275, 7276, 7577 दिनांक 02/01/1980 के हारा प्रशासनीय भूमि के व्यापवर्तन किये जाने के रादर में प्रमाण पत्र के लिए।

7/ ग्राम बालापुर के हारा पत्र कमांडर को व्यापवर्तन किये जाने के सबधे गे अग्राहित प्रमाण पत्र क्षमा दिए।

8/ शासन की भाग बदलने की दृष्टि से उक्त भूमि पर पुनर्निधारण भू-शासन वृद्धि हो रही शासनहित में भी उक्त भूमि पर पुनर्निधारण एवं श्रीमित्र दिया जाना सुनिश्चित होता है।

- 14/3. १९५९ की धारा 172 के अन्तर्गत प्रश्नादाता भुग्गे रक्षा  
८५३९०८ के लिए जीवोंगिक प्रयोजन की ही रहेगा।

96/2, 96 का धारा 59 के अन्तर्गत प्रश्नावीन संघ नं. 14/3, 96/2, 99/2, 99/3, कुल रक्ता। 1933 अधों। 853908 यांत्रिक  
का औधोगिक दस्तावेज़ हेतु पुनः निर्धारण भू-राजस्थान 31/- प्रति १० किलो  
मान रो रुपये । 197/- अधरों रूपये दीया जाए। इसके बाहर का रो रुपये  
प्रतिवर्ष चार रुपये दीया जाएगा । इस से निर्धारित मिश्या जाती है।

ग.प्र.भू-राजस्थान

रूपये प्रति दिन के मान से रूपये 1190392/- की रूपये रुपरह लाख व हजार तीन रुपये की रूपये अधिक रुपये हैं।

प्राप्त पंचायति विद्युत ग्राम है। यह राजस्थान का 50 वर्षिका वर्षा 1950-51 का असमीकृत साल से शीघ्र ग्राम पंचायति घोषित किया गया।

- 5- इसे रोड की निर्धारित चौड़ाई छोड़कर ही निर्माण कार्य करने से कोई सार्वजनिक नुसरत नहीं होगी।
- 6- नारदन मूरि पर निर्माण कार्य करने से कोई सार्वजनिक नुसरत नहीं होगी।
- 7- नारदन मूरि पर वृक्षारोपण वरना आवेदन लोगत ;
- 8- नारदन वाचालक नार तथा ग्राम निरोश की अनुमति न होने से करना होगा।
- 9- नारदन रानरत विधि एवं शिखरों का पालन करना होगा।
- 10- नारदन करने के प्राप्त प्रधानता से निर्माण रखाकृत करनाकर अनुमति आवेदन की।
- 11- प्रश्न का उन्हें के संबंध में स्वत्वा अधिक कोई वाद विद्याद होना जाना चाहिए असत्य पाये जाने पर एवं उपरोक्त वर्ता का निर्वाचन करने वाले भौदेश रवानेव निररत पालन करेंगे।

उत्तराखण्ड निर्धारित राशि आदेश दिनांक के अनुसार इन वादों ने होगा एवं शर्तों का पालन। आवेदक को करना अनिवार्य होगा। इन वादों ने अदेश आज दिनांक 21/02/2011 को भेर हरसाइर द्वारा दिया गया।

पृष्ठ / ८३  
प्रतिलिपि:-

11

आवेद. दिनांक 21/02/2011

- (1) संयुक्त नार तथा ग्राम नियम इन्हीं को और सुनाये जाना चाहिए। वारिवर्तीत इन्दौर की ओर धी-1 में इन्द्राज हटु।
- (2) तहसील वारिवर्तीत की ओर आवाषक कार्यालयी है।
- (3) पटवारी 38 ग्राम युगोरी तहसील रानवेर की ओर सूचनाएँ देना चाहिए। उल्लंघनी केलोपस ताफ़ पाटवर सुनिश्चित करना।
- (4) पता : 100 आर्क्कुल इन्दौर(एड) को ओर सूचनाएँ देना।
- (5) —